

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :- 07432-230645,
07432 -230646

फोन न. 07432-230403, फैक्स न. -230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक-न्याय/2018/ 7303

दिनांक: 20.12.2018

:- आदेश :-


पुलिस अधीक्षक झालावाड़ ने पत्र सं० सीबी/विधि/झाला/18/40322-23 दिनांक 17.12.2018 से पुलिस थाना खानपुर के अभियोग सं० 427/18 धारा 3/25, आर्म्स एक्ट में अभियुक्त सुजान सिंह पिता रोडूलाल जाति मेहर उम्र 23 साल निवासी झिकडिया थाना घाटोली जिला झालावाड़ के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के अन्तर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 08.11.18 को श्री सुरेन्द्र सिंह सउनि मय जाप्ता वास्ते गश्त ईलाका व चौकिंग अवैध कार्य की रोकथाम हेतु चांदखेडी पिपलाज रोड पर पहुंचा जय मुखबिर सूचना मिली की एक व्यक्ति पिपलाज रोड पर गौशाला के पास घूम रहा है, जिसके पास कोई अवैध हथियार हो सकता है। सांकेतिक स्थान पर पहुंचने पर एक व्यक्ति पिपलाज की तरफ आता नजर आया जो पुलिस जाप्ते को बावर्दी देखकर भागने लगा, जिसको जाप्ते की मदद से डिटेन कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सुजान सिंह पिता रोडूलाल जाति मेहर उम्र 23 साल निवासी झिकडिया थाना घाटोली जिला झालावाड़ बताया। जिसके पास अवैध वस्तु होने का संदेह होने पर तलाशी ली तो पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब से एक देशी कटटा 12 बोर लोहे का मिला, जिसको अपने कब्जे में रखना या परिवहन करने के संबंध में अनुज्ञापत्र चाहा तो नहीं होना बताया। मौके पर विधि सम्मत कार्यवाही कर वापसी थाने पर अपराध सं० 427/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में पंजिबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

दौराने अनुसंधान निरीक्षण घटना स्थल फरियादी व गवाहन के कथन लेखबद्ध किये गये। अनुसंधान से अभियुक्त के विरुद्ध 3/25 आर्म्स एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया गया। उक्त जप्तशुदा एक देशी कटटा 12 बोर का आर्मोरर पुलिस लाईन द्वारा मेकेनिकल मुआयना करवाये जाने पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट में एक देशी कटटा 12 बोर फायर करने योग्य तथा फायर आर्म्स की जद में आना बताया। अभियुक्त के पास अनुज्ञापत्र होना नहीं पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते हैं।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री महेन्द्र मारु एसआई व आर्मोरर पुलिस लाईन श्री यशवत सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सीलड एक देशी कटटा को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सीलड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एवं अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त सुजान सिंह पिता रोडूलाल जाति मेहर उम्र 23 साल निवासी झिकडिया थाना घाटोली जिला झालावाड़ के विरुद्ध आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3/25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।


(डॉ०) जितेन्द्र कुमार सोनी
जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड़